(डीडीए की वेबसाइट के लिए)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कार्मिक शाखा-I

पूछताछ अधिकारियों को सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

भारत सरकार के अधीन मंत्रालयों/ विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों (जो भारत सरकार में उप सचिव की श्रेणी के नीचे नहीं हों) अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और दिल्ली विकास प्राधिकरण में इसके समकक्ष अधिकारियों से निर्दिष्ट प्रारुप (संलग्न) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संचालित करने हेतु पूछताछ अधिकारी के तौर सूचीबद्ध होने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हों (पैनल सामान्यतः तीन वर्षों के लिए मान्य होगा):

2. इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए पात्रता मापदंड

(i) सेवानिवृत्त अधिकारी को भारत सरकार में उप सचिव से नीचे की श्रेणी का नहीं होना चाहिए अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और दिल्ली विकास प्राधिकरण में इसके समकक्ष होना चाहिए, और पूछताछ अधिकारी के तौर पर सेवा देने के इच्छुक अधिकारी को पैनल में सूचीबद्ध होने के वर्ष के 1 अप्रैल को 65 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए;

(ii) उसे अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए- शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से; और

(iii) उसे किसी भी लंबित जांच प्रक्रिया में आरोपी अधिकारी नहीं होना चाहिए और निर्दोष सत्यनिष्ठा का होना चाहिए।

3. पूछताछ अधिकारी के तौर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें

(i) पदनामित पूछताछ अधिकारी को निम्नानुसार एक शपथ देनी होगीः

(क) कि वह जांच किए जाने वाले मामले में कोई गवाह अथवा कोई शिकायतकर्ता नहीं है अथवा कोई दोषी सरकारी अधिकारी का कोई रिश्तेदार अथवा कोई जानकार मित्र नहीं है।

(ख) जांच के संबंध में उसे प्राप्त होने वाले दस्तावेजों अथवा उसके द्वारा एकत्र की गई जानकारी/ संग्रहित डाटा के बारे में वह कड़ी गोपनीयता बनाए रखेगा और इनका उपयोग केवल उसे सौंपे गए जांच के मामले के उद्देश्य के लिए करेगा।

(ग) ऐसे किसी भी दस्तावेज/ जानकारी अथवा डाटा को जांच के दौरान अथवा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त वह किसी भी व्यक्ति को प्रगट नहीं करेगा। पूछताछ अधिकारी के

समक्ष उपलब्ध सभी प्रलेखों, प्रतिवेदनों इत्यादि को वह प्राधिकरण को जांच प्रतिवेदन की प्रस्तुति करने के दौरान, विधिवत वापस करेगा।

(ii) पूछताछ अधिकारी जांच की कार्यवाहियों को विभाग द्वारा प्रदत्त किए गए परिसर में ही संचालित करेगा।

(iii) पूछताछ अधिकारी जांच संचालित करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के अनुमोदन से यात्रा करेगा (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में)।

(iv) जांच पूर्ण करने के उपरान्त उसके पूछताछ अधिकारी के तौर पर नियुक्त होने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर पूछताछ अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। नब्बे दिनों की अवधि में विस्तार को केवल अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किया जा सकेगा।

4. पूछताछ अधिकारियों को भुगतान किया जाने वाले मानदेय की दरें तथा इससे संबंधित अन्य शर्तें

(i) पूछताछ अधिकारियों को भुगतान किए जाने वाले मानदेय तथा अन्य भत्तों की दरों को समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) पूछताछ अधिकारी को भुगतान किए जाने के पूर्व, यह सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी होगी किः

(क) सभी मामला प्रलेखों और जांच रिपोर्ट (दो हस्ताक्षरित प्रतियों में) समुचित तौर पर दस्तावेजीकृत किए गए और व्यवस्थित किए गए हैं तथा अनुशासनिक प्राधिकारी को सौंप दिए गए हैं।

(ख) रिपोर्ट में प्रत्येक आरोपों के अनुच्छेदों पर निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है जिसके बारे में जांच की गई है और विशेषतौर पर संबोधित किया गया तथा कार्यवाहियों की प्रक्रिया के अधीन संबोधित किए गए हैं, यदि कोई हो, जिसे आरोपी अधिकारी द्वारा अनुमन्य नियमों और अनुदेशों के अनुसार उठाया गया हो।

(ग) जांच प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए अतएव प्रत्येक मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभागीय जांच संचालित करने की सभी प्रक्रियाओं का अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लागू नियमों/अनुदेशों तथा अपीलीय नियमों के अनुसार अनुपालन किया गया है, जिसके अधीन दोषी सरकारी अधिकारी को अभिशासित किया गया हो।

(iii) पूछताछ अधिकारी को भुगतान अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन को स्वीकार करने की शर्त पर ही किया जाएगा।

(iv) यदि न्यायालय द्वारा मामले पर रोक/स्थगन आदेश के चलते मामले पर आगे कार्रवाई नहीं किए जा सकने के मामले पर, पूछताछ अधिकारी को उसके कर्तव्यों से भारमुक्त किया जा सकेगा और मानदेय तथा अन्य भत्तों का भुगतान समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

5. इच्छुक और पात्र सेवानिवृत्त अधिकारी अपना आवेदन निर्दिष्ट प्रारूप में संबंधित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-110023 को दिनांक 05.04.2017 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। अपूर्ण आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

संलग्नः आवेदन पत्र का प्रारूप

ह/-
(एम.के. गुप्ता)
आयुक्त (कार्मिक)

भारत सरकार के अधीन मंत्रालयों/विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों (जो भारत सरकार में उप सचिव की श्रेणी के नीचे नहीं हों) अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूछताछ अधिकारी के तौर पर सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के लिए विभागीय जांच संचालित करने हेतु पूछताछ अधिकारी के तौर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1. अधिकारी का नाम : _____
2. मूल विभाग/सेवा का नामः _____
   (स्पष्ट अक्षरों में)
3. सेवानिवृत्ति के समय पदनामः _____
4. डीडीए/अन्य विभाग से सेवानिवृत्ति की तिथिः _____
5. जन्मतिथिः _____
6. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को आयुः _____
7. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित अंतिम पदः _____
8. सेवा के दौरान धारित पदों का विवरणः _____
9. क्या आपको कभी पूछताछ अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई हैः _____
10. यदि हां, तो इस संबंध मे विवरण दें: _____
11. क्या आप सेवा-समाप्ति पर अथवा स्वैच्छिक तौर पर सेवानिवृत्त हुए हैं: _____
12. क्या सेवा के दौरान कोई शास्ति अधिरोपित की गई थीः _____
13. यदि हां, तो इस संबंध मे विवरण दें: _____
14. क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा है- शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार सेः _____
15. यदि हां, तो कृपया इस संबंध में पंजीकृत चिकित्सक (एमबीबीएस या इससे उपर) से चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न करें: _____
16. उन अनुशासनिक अथवा आपराधिक मामलों का विवरण जिसमें आप एक विभागीय अथवा अभियोजन गवाह रहे हों: _____
17. लंबित अनुशासनिक और आपराधिक मामलों का विवरणः _____
18. पीपीओ संख्या, यदि डीडीए से सेवानिवृत्त अधिकारी के मामले में: _____

(आवश्यक होने पर अलग पन्ने का उपयोग करें)

_____

(हस्ताक्षर)

नामः _____

स्थायी/ वर्तमान पताः _____

_____

_____

_____

संपर्क नंबरः _____

स्थानः _____

दिनांकः _____